

जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 23.05.2025

दबिश के दौरान 05 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता मो0 राशिद पुत्र अहमद वाहिद निवासी काजीपुर मगहर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री मनीष जायसवाल, का0 कृष्ण नरायण।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 04 वारण्टी नाम पता 1- आशीष पुत्र दयाराम 02- आरती पत्नी प्रेमदास 03- कुमकुम पत्नी दयाराम 04- शोभादेवी पत्नी दयादास निवासीगण बेलहरखुर्द वार्ड नं0 04 थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री ब्रम्हानन्द, हे0का0 विनोद यादव, म0का0 वैष्णवी शुक्ला।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 11 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 194 वाहनों से 1,94,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 23.05.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 194 वाहनों से 1,94,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे *‘‘ऑपरेशन कनविक्शन’’ अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को धारा-60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 4000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे *‘‘ऑपरेशन कनविक्शन’’ अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 23.05.2025 को ***माननीय न्यायालय सीजे (एसडी) फीटीसी/ एसीजेएम जनपद संतकबीरनगर*** के द्वारा अभियुक्त नाम पता अशोक कुमार पुत्र लालमन निवासी भरथुआ थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को न्यायालय उठने तक का कारावास व 4000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरण:-

मु0अ0सं0 189/2019 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर से संबंधित अभियुक्त उपरोक्त को धारा-60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 4000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास से भुगतना होगा।